[13/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 191]

अतारांकित प्रश्न क्र. -191 सदन में उत्तर देने का दि. 13/2/2024 परिशिष्ट
मान. वि. श्री प्रह्लाद लोधी

(1/3)

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

क्रमांक 984 /मप्रविनिआ/2021 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) तथा 181 (2) (यक एवं यख) सहपठित धारा 57, 59 तथा 86 (1) (झ) एवं विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 12 नवम्बर, 2012 को अधिसूचित मप्रविनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (द्वितीय–पुनरीक्षण) विनियम 2012 में प्रथम संशोधन {एआरजी–8(II)(i)वर्ष, 2021}

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :– 1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण–द्वितीय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 (एआरजी–8(II)(i)वर्ष 2021)"** कहलाएंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. अध्याय–7 में संशोधन

प्रधान विनियमों में विनियम 7.3 के पश्चात, निम्न विनियम जोड़े जाएं, अर्थात :

7.4 आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये निम्न मानदण्डों का प्रावधान करेगा :

(क) वर्ष में प्रति उपभोक्ता विद्युत कटौती की अवधि और आवृत्ति

एक. प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (एसएआईएफआई)

दो. प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एसएआईएफआई)

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 'एसएआईडीआई' या 'एसएआईएफआई', यथास्थिति, की गणना के लिये विचारित न्यूनतम विद्युत अवरोध/कटौती (आउटेज) समय (मिनटों में) को आयोग द्वारा पृथक से आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

7.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी केवल कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर जिन्हें पृथक कृषि संभरकों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाएगी, 24x7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी कृषि उपभोक्ता को प्रतिदिन न्यूनतम 10 घंटे हेतु विद्युत की आपूर्ति करेगा।

2/3

परिशिष्ट : अ

सेवा क्षेत्र	प्रत्याभूतित मानदण्ड	प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति
(iii) वितरण ट्रांसफार्मर के विफल होने पर		
संभागीय मुख्यालयों में, ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	12 घंटे के भीतर	विशिष्ट ट्रांसफार्मर के माध्यम से सेवाकृत समस्त उपभोक्ताओं को प्रति उपभोक्ता रू. 100 की दर से
संभागीय मुख्यालयों को छोड़कर, शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	24 घंटे के भीतर	
ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदला जाना अथवा विद्युत प्रदाय की पुनर्स्थापना करना	शुष्क मौसम के दौरान 72 घंटे के भीतर तथा मानसून मौसम के दौरान (माह जुलाई से सितम्बर तक) सात दिवस के भीतर	

3/3 (2)

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 51 /एफ–3/02/2019/तेरह भोपाल, दिनांक -3 JAN 2019

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
   एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर।
2. प्रबंध संचालक,
   म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

विषयः–जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदलने के संबंध में।
संदर्भः–विभाग का पत्र कमांक 6469/2017/तेरह, दिनांक 10.10.2017

:–:

जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदलने के संबंध में विभाग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी किये गये निर्देशों को अधिकमित (Superseded) करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

"जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों से जुड़े 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर अथवा कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा होने के उपरांत इन जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदला जाए। इन दोनों शर्तो में से किसी भी एक शर्त की पूर्ति होने पर उक्त ट्रांसफार्मर को तत्काल बदला जाये।"

निर्देशानुसार, उक्त कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने हेतु मैदानी अधिकारियों को निर्देशित करने का कृपया अनुरोध है।

(पी.के. चतुर्वेदी)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल